

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

पारी दिनांक: 03/03/2023

प्रमाणित किया जाता है कि	तबस्सुम/TABASSUM
पुष्प/पुष्पी	फारुख हुसैन
माता का नाम	मुसरत जहाँ
निवासी	,डीआर सिंह की मिर्जा सोनबापुर देहात
ग्राम	
तहसील	मुसदाबाद
जिला	मराठाबाद



यह भी उपाधित किया जाता है कि **तबस्सुम/TABASSUM** धूम्रपान अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जिस में उत्तर प्रदेश गौक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा उल्लिखित किया गया है) में उ०प्र० गौक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से अपवादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन बर्षों की अवधि के विभिन्न वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास-पड़ोस में अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



NITIN Digitally Signed
by NITIN
TEWATIA
O=PERSO, CN=TEWATIA

समस्त अधिकारी/तहसीलदार
जिल्ला मुख्यालय
मुद्राबाद, मुराबाद
दिनांक: 03/03/2023

यह प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से सत्यापित किया जा सकता है। यदि आप इसे सत्यापित करना चाहते हैं, तो कृपया निम्नलिखित लिंक पर जाएं: <http://eodashboard.in>। यह प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से सत्यापित किया जा सकता है। यदि आप इसे सत्यापित करना चाहते हैं, तो कृपया निम्नलिखित लिंक पर जाएं: <http://eodashboard.in>। यह प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से सत्यापित किया जा सकता है। यदि आप इसे सत्यापित करना चाहते हैं, तो कृपया निम्नलिखित लिंक पर जाएं: <http://eodashboard.in>।